

229  
6.7.23

Dr. Anita Raisinghani  
Dr. Nita Chandra  
617123

## आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/Dept/stea/>

e-mail : [nssceraaj@gmail.com](mailto:nssceraaj@gmail.com) Ph.: 8209357575

क्रमांक: एफ 8(8)/विबिद्य/एनएसएस/आकाशि/2023/267-71

दिनांक 5.7.2023

प्राचार्य  
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,  
(एन.एस.एस. से सम्बन्धित)  
राजस्थान।

विषय :- "टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन" के अन्तर्गत निर्धारित की गयी गतिविधियों के समयबद्ध आयोजन  
बाबत।  
संदर्भ :- मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एनटीसीपी/2023/1002 दिनांक 05.06.  
2023.

गहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 24 के सबिन्दु 19.4 में  
अंकित नीति "युवाओं में नशे की लत रोकने हेतु कारगर कदम उठाना तथा निरोगी राजस्थान अभियान के  
अन्तर्गत 60 दिवसीय "टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन" संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सन्दर्भित पत्र की छाया प्रतियां संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दिये  
गये निर्देशानुसार 60 दिवसीय "टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन" में निर्धारित की गयी समस्त गतिविधियां निश्चित  
समयावधि में पूर्ण करवा कर मुख्य विकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में  
रिपोर्ट्स राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के ई-मेल [ntep.raj@gmail.com](mailto:ntep.raj@gmail.com) पर भिजवाया जाना  
सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त चीफ सोकेट्री, मेडीकल, हेल्थ एण्ड एफ.डब्लू विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर  
को उनके पत्र क्रमांक एनटीसीपी/2023/1013 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एनटीसीपी/2023/1001 दिनांक  
05.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित जिला समन्वयक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन महाविद्यालयों में  
संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों में सन्दर्भित पत्र की पालना सुनिश्चित करवायी जावे।
4. वेब प्रगारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

भवदीय,

(सुरेश सिंह)

राज्य सम्पर्क अधिकारी/  
राज्य समन्वयक,

(317/21.6.23) NSS Co-Ordinator  
22.6.23  
Bhira Singh, IAS  
सिंह, आई.ए.एस.



Additional Chief Secretary  
Medical, Health & F.W. Department  
Chief Resident Commissioner, New Delhi  
Government of Rajasthan

अशा. पत्र क्रमांक : एनटीसीपी/2023/1013  
दिनांक : 12.06.2023

प्रिय श्री भवानी देवा,

P. D. No. 239/PS/CGM/02  
Dated 21/6/23

राज्य सरकार की जन घोषणा "19.4-युवाओं में नशे की लत रोकने हेतु कारगर कदम उठाना" तथा निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत वृहद स्तर पर आमजन में जागरूकता के लिये "टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन" की 60 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की गयी है। उक्त 60 दिवसीय कार्य योजना में सभी जिलों में ग्राम स्तर तक सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी क्रियान्विति करवाई जायेगी।

उक्त "टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन" के अंतर्गत राज्य के समस्त शिक्षण संस्थानों (निजी शिक्षण संस्थान सहित) को भारत सरकार के स्तर से निर्धारित किये गये 09 इंडिकेटर्स के अनुसार तम्बाकू मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित कर समस्त शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बिक्री निषेध के नियमों की प्रभावी पालना करवायी जानी है। "टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन" के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर विद्यार्थियों के द्वारा जन जागरूकता अतिविधियों में भी भाग लिया जायेगा।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिये निर्धारित किये गये 09 इंडिकेटर्स की अनुपालना प्रत्येक शिक्षण संस्थानों के द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में भी समय-समय पर आपके विभाग के स्तर से दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी क्रियान्विति करवाये जाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को शिक्षण संस्थावार प्रगति रिपोर्ट संकलित करवाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से भिजवाने का आदेश प्रसारित करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक  
एनटीसीपी/2023/1001 दिनांक 05.06.2023  
एवं 60 दिवसीय "टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन" की कार्ययोजना

सादर

शुभेच्छु,

श्री भवानी सिंह देवा  
प्रमुख शासन सचिव,  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

कर्मचारी नाम: शुभा सिंह  
पद: प्रमुख शासन सचिव  
शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
जयपुर संख्या: 3388  
दिनांक: 15/6/23  
(शुभा सिंह)

राजस्थान सरकार  
मुख्य सचिव कार्यालय

क्रमांक : एनटीसीपी/2023/1001

दिनांक : 05.06.2023

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. समस्त संभागीय आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान
3. समस्त जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, राजस्थान.
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान

विषय :- "टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन" के अंतर्गत निर्धारित की गयी गतिविधियों के समयबद्ध आयोजन बाबत

राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 24 के 19.4 पर अंकित नीति "युवाओं में नशे की लत रोकने हेतु कारगर कदम उठाना" तथा निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत 60 दिवसीय "टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन" संचालित किया जा रहा है।

उपर्युक्त टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन में निर्धारित की गयी समस्त गतिविधियां निश्चित समयबाध में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन की कार्ययोजना  
पत्रांक एनटीसीपी/2023/996 दिनांक 30.05.2023

(उषा शर्मा)  
मुख्य सचिव  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

क्रमांक : एनटीसीपी/2023/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान एवं समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।
5. रक्षित पत्रावली।

(उषा शर्मा)  
मुख्य सचिव  
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Usha Sharma  
Designation: Chief Secretary  
Date: 2023.06.03 12:13 IST  
Reason: Approved

## तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिये स्व-मूल्यांकन स्कोर कार्ड

शिक्षण संस्थान का नाम -

मूल्यांकनकर्ता का नाम व पद -

मूल्यांकन की दिनांक -

शिक्षण संस्थान के मूल्यांकन का स्कोर -

क्र.सं.	मापदण्ड	महत्व बिन्दु	संस्थान के प्राप्तांक
1.	शिक्षण संस्थान परिसर के अन्दर प्रमुख स्थानों पर "तम्बाकू मुक्त परिसर" के बोर्ड प्रदर्शित नाम/पदनाम/सम्पर्क सूत्र सम्मिलित करते हुवे साइनेज का प्रदर्शन	अनिवार्य (10) अनिवार्य (10)	
2.	शिक्षण संस्थान के प्रवेशद्वार/बाउंड्री वाल पर "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" का बोर्ड प्रदर्शित नाम/पदनाम/सम्पर्क सूत्र सम्मिलित करते हुवे साइनेज का प्रदर्शन	अनिवार्य (10) अनिवार्य (10)	
3.	तम्बाकू उपयोग करने के प्रमाण नहीं होना जैसे कि सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े अथवा गुटखा/तम्बाकू के पाउच, थूक के घब्बे	अनिवार्य (10)	
4.	परिसर में तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के सम्बंध में पोस्टर व अन्य जागरूकता सामग्री प्रदर्शन	9	
5.	गत 06 माह में तम्बाकू नियंत्रण सम्बंधी कम से कम एक गतिविधि का आयोजन	9	
6.	साइनेज में तम्बाकू मॉनिटर का नाम, पदनाम और सम्पर्क सूत्र लिखा होना	9	
7.	"तम्बाकू उपयोग न करने" के नियम शिक्षण संस्थान की आचार संहिता में सम्मिलित करना	9	
8.	शिक्षण संस्थान के बाउंड्री वॉल/बाइ के बाहरी 100 गज के दायरे का चिन्हीकरण	7	
9.	शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की दुकान नहीं होना	7	

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिला स्तर पर कॉलेज प्राचार्य के माध्यम से संबंधित सीएमएचओ को भिजवाई जाएगी -  
साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र

जिले का नाम	कुल कॉलेजों की संख्या राजकीय /निजी	मॉनिटरिंग किए गए कॉलेजों की संख्या	तम्बाकू मुक्त किए गए कॉलेजों की कुल संख्या (9 इंडिकेटर्स के अनुसार)	तम्बाकू मुक्ति की शपथ आयोजित किए गए कॉलेजों की कुल संख्या	तम्बाकू मुक्ति की शपथ लेने वाले प्रतिभागियों की कुल संख्या	कॉलेजों के द्वारा तम्बाकू जागरूकता के लिए आयोजित की गई तम्बाकू जागरूकता रैलियों में प्रतिभागियों की कुल संख्या	कॉलेजों के द्वारा तम्बाकू जागरूकता के लिए आयोजित की गई तम्बाकू जागरूकता रैलियों में प्रतिभागियों की कुल संख्या	कॉलेजों के द्वारा आयोजित की गई तम्बाकू जागरूकता रैलियों में प्रतिभागियों की कुल संख्या	कॉलेजों में तम्बाकू जागरूकता के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिताओं की कुल संख्या (अभिभाषण ,नारा लेखन,पोस्टर इत्यादि)	कॉलेजों में तम्बाकू जागरूकता के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिताओं की कुल संख्या (अभिभाषण ,नारा लेखन,पोस्टर इत्यादि)
-------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

राजकीय महाविद्यालय केकड़ी

## तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान

राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में आज तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन प्राचार्य श्री पीयूष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। प्राचार्य श्री गुप्ता ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति देश के विकास में बाधक है। इससे युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कार्यक्रम प्रभारी डॉ अनिता रायसिंघानी ने आयुक्तालय के दिशा निर्देशों एवं तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की जानकारी प्रदान की। युवाओं के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना हेतु सुझाव श्री राजेश नरूका द्वारा दिए गए। महाविद्यालय परिसर में पोस्टर लगवाना, विद्यार्थियों की काउंसलिंग की आवश्यकता पर बल दिया। योग प्रशिक्षक कैलाश चंद्र रांटा ने इस अवसर पर उपस्थित छात्रों को योग के माध्यम से नशे पर नियंत्रण करने की बात कही। अगर नियमित रूप से योगाभ्यास किया जाए तो वर्षों से नशे का आदी व्यक्ति भी नशे से छुटकारा पा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए युवा छात्र प्रतिनिधियों की आवश्यकता रहेगी। संगोष्ठी में छात्र प्रतिनिधि गौरव पाराशर, हर्षित तोषनीवाल, गोवर्धन कुमावत, अभिषेक बैरवा, दीपक धाकड़ हेमराज कुमावत, रजनीकांत वाजपेयी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।



युवाओं के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना

# t hou d sfy ; si fr Kk

## ~~P~~ledge For Life½

eδ , d ft ~~E~~skj ~~H~~irh ukxfjd  
ds: i ea' ki Fk ysk gaw ysh gafd  
t hou ead ~~H~~h ~~H~~fdl h ~~H~~ni d kj ds  
r Ecd v ~~R~~ kna, o u' ky si nk ~~F~~kd k  
l ou ugh d: ~~æ~~k@d: ~~æ~~hAeδ vi us  
i fj t uk\$ fe=ks, oai fj for kad ks ~~H~~  
r Ecd v ~~R~~ kna, oau' ky si nk ~~F~~kd ks  
l ou ugh djus ds fy, i ~~f~~r  
d: ~~æ~~k@d: ~~æ~~hA

